

प्रेस नोट थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर दिनांक 08.01.2025

गोतस्करी करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप वाहन बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा गोतस्करी के अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्ग निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवां के नेतृत्व में 30नि0 घनश्याम उपाध्याय मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त भोला साह को 07 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 017/25 धारा 3/5A /8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 08.01.2025 को समय सुबह 9.40 बजे थाना स्थानीय की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के सूचना पर पिपरा तिराहे पर बैरियर लगाकर संतकबीर नगर से आ रही पिकअप को चेक करने हेतु रोका गया तो पिकअप में बैठे 01 अभियुक्त को 07 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त पिकअप वाहन के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

भोला साह पुत्र अच्छेलाल साह निवासी ग्राम पुरखास थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज (बिहार)

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 017/2025 धारा 3/5A/8 उ0प्र0 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर

बरामदगी-

07 राशि गोवंश व घटना में प्रयुक्त 01 अदद पिकअप वाहन

गिरफ्तारी की टीम-

1. 30नि0 घनश्याम उपाध्याय थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
2. 30नि0 वैभव मिश्रा थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
3. 30नि0 मृत्युंजय कुमार थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
4. कां0 दीपू प्रसाद थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर
5. कां0 दिनेश यादव थाना सहजनवां जनपद गोरखपुर